न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुघ्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल नं0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
185/2024	23/01/2024	....

अनिता पुत्री पुरूषोतम पत्नी मुकुट बिहारी जाति मीना निवासी बरगू हाल कचोलिया तह0 दीगोद

— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

— प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट

आदेश

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बरगू भूअ0निरीक्षक पोलाईकलां तहसील दीगोद मे खाता सं0 88 पर खसरा नम्बर 509/115 की 1.08 है0 भूमि वादनी एवं अन्य भाइयो सहखातेदारान् के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी का 1/6 हिस्सा पर सुनिता पुत्री पुरूषोतम दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी पूर्व में वादनी के पिता के नाम दर्ज चली आ रही थी उनकी मृत्यु के बाद वादनी व अन्य वारिसान को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सहवन से अनिता के स्थान पर सुनिता दर्ज कर

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

[illegible] है जो गलत है। वादनी के आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात् मे वादनी का नाम अनिता दर्ज है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम सुनिता गलत दर्ज होने से वादनी को काफी परेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम सुनिता के स्थान पर अनिता दर्ज किया जाना आवश्यक् है।

यह कि इस संबध में वादनी ने उसके नाम को दुरस्त करने हेतु प्रतिवादी से दिनांक 22.09.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया । जिस कारण यह वाद वादनी के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियो व कर्मचारियो ने वादनी का नाम गलत दर्ज करने पर तथा दिनांक 22.09.2023 को प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरस्त नही करने पर व दुरस्त करने से इंकार करने पर पैदा हुआ।

अतःवाद पेश कर निवेदन है कि वादनी का के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी परित की जावे।

ग्राम बरगू भूअ0निरीक्षक पोलाईकलां तहसील दीगोद मे खाता सं0 88 पर खसरा नम्बर 509/115 की 1.08 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम सुनिता के स्थान पर अनिता अथवा अनिता उर्फ सुनिता दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने की आज्ञा पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी सम्वत् 2074–77 में ख.न. 509/115 मे रकबा 1.08 है0 किस्म बरानी द्वितीय सहखातेदारान् दर्ज रेकार्ड है। वादनी का नाम उनके पिता की मृत्यु के बाद नामा0 सं. 204 दिनांक 5.10.2010 से वादनी का नाम सुनिता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुआ है। मजमे आम में जानकारी करने पर वादनी का नाम अनिता बताया गया है। अनिता व सुनिता दोनो नाम एक ही व्यक्ति है। खाते में दर्ज में सहखातेदारो के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः वादी नाम शुद्ध किये जाने योग्य हैं मजमें आम में तैयार

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद [illegible]

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य

रिपोर्ट पर सहखातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये। वाद में वादनी का नाम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त होने पर वाद की सुनवाई दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,वादपत्र,जवाब सरकार,पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में अंकित दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र,जनाधारकार्ड, स्कूल ई श्रम कार्ड इत्याद्वि में वादनी का नाम अनिता दर्ज है। वादनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में ग्राम पंचायत डूगरज्या प0स0 सुल्तानपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति पत्रावली मे प्रस्तुत की है। पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अनिता व सुनिता दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है इसका असली नाम अनिता है जो पुरूषोतम मीना की बेटी है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बरगू भूअ0निरीक्षक पोलाईकलां तहसील दीगोद मे खाता सं0 88 पर खसरा नम्बर 509/115 की 1.08 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम सुनिता के स्थान पर अनिता उर्फ सुनिता दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेंगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा	उपखण्ड अधिकारी दीगोद सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा